



MUNICIPAL COMMITTEE, SAMPLA

Beri Road Near Tehsil Complex, Sampla (rohtak)
E-mail: sec.sampla@gmail.com



“सार्वजनिक सूचना”

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के रूप में विशेष अपील (सी) संख्या 8519/2006 में पारित दिनांक 29-09-2009 के आदेश के तहत निर्देश दिया कि उस तिथि के बाद सार्वजनिक सडकों, सार्वजनिक पार्कों या सार्वजनिक स्थानों आदि पर मन्दिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के नाम पर कोई अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगने और कार्यान्वयन की निगरानी के बाद दिनांक 31-01-2018 के आदेश के तहत मामलों को प्रभावी तरीके से अपने आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

उक्त आदेशों के पालना में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सडक, फुटपाथ इत्यादि पर बने अवैध धार्मिक संस्थान स्ट्रक्चर, भवन आदि को तुरन्त प्रभाव से हटा लें अन्यथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त भवनों को तोड़-फोड़ कर हटा दिया जाएगा, जिसमें होने वाले हर्जो-खर्चों के लिए उपरोक्त संस्थानों को चलाने वाले अनुयायी स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक एवं न्यायालय के आदेश की अवमानना की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।